

Awadhesh Kumar Pal (3167)

Anil Kumar (3076)

Sudesh Bala (3304)

Sunil Kumar (3093)

Nisha Kataria (3248)

Abhinav (3049)

Magha Ram (3363)

Murari Lal (3018)

Santosh Taneja (3021)

Khem Chand Kalal (3319)

Naresh Kumar (3355)

Surander Singh (3369)

Rekha Gulati (3037)

Vijay Kumar (3249)



Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Awadhesh Kumar Pal (3167)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Awadhesh Kumar Pal
S/o Uma Shanker Pal
Vill-Chaurwa, P.O-Ganeshpru,
District-Basti (U.P.)-2727001
Roll No: 3167

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 गिगनू (भिवानी) {362} खण्ड लोहारू जिला भिवानी में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, भिवानी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। **इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।**
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी /निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, भिवानी को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 गिगनू (भिवानी) {362}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Anil Kumar (3076)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Anil Kumar
S/o Suraj Bhan
56/31, Near Laxmi Sweets, Idgah
Road, Model Town, Panipat-132103
Roll No: 3076

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 नथूसरी चोपटा (सिरसा) [2923] खण्ड नथूसरी चोपटा जिला सिरसा में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, सिरसा से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, सिरसा को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 नथूसरी चोपटा (सिरसा) {2923}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Sudesh Bala (3304)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Sudesh Bala
D/o Rattan Singh
W.No.3, # 214, Rly Road Uchana
Mandi, Jind (HR)-126115
Roll No: 3304

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0क0व0मा0वि0 उचाना मण्डी (जीद) {1524} खण्ड उचाना कलां जिला जीद में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, जीद से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

- 1 सिविल सर्जन, जीद को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी जीद
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0क0व0मा0वि0 उचाना मण्डी (जीद) {1524}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Sunil Kumar (3093)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Sunil Kumar
S/o Mange Lal Ram
Ekta Vihar Colony, VPO-Ugrakheri,
Panipat (HR)-132103
Roll No: 3093

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 सफीदों (जीद) {1512} खण्ड सफीदो जिला जीद में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, जीद से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी /निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

- 1 सिविल सर्जन, जीद को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी जीद
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 सफीदों (जीद) {1512}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Nisha Kataria (3248)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Nisha Kataria
D/o Ramesh Kalan
C/o Sanjeev Kumar S/o Sh Pala Ram
887-A/12, Near Bhagyashali Press
Azad Nagar, KUK (HR)-136118
Roll No: 3248

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0क0व0मा0वि0 रोहतक माडल टाउन (रोहतक) {2676} खण्ड रोहतक जिला रोहतक में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।

- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।
- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमितताएँ पाई गईं तो आपको तुरन्त प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, रोहतक से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत

कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी /निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला

दिनांक, पंचकूला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, रोहतक को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0क0व0मा0वि0 रोहतक माडल टाउन (रोहतक) {2676}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Abhinav (3049)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Abhinav
S/o Rajeev Kumar Mishra
30/22, Gali No.12, Hanuman
Mandir Marg Wazirabad, Village,
New Delhi-110084
Roll No: 3049

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 डबवाली (सिरसा) {2816} खण्ड डबवाली जिला सिरसा में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।

- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।
- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमितताएँ पाई गईं तो आपको तुरन्त प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, सिरसा से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत

कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी /निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, सिरसा को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 डबवाली (सिरसा) {2816}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Magha Ram (3363)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Magha Ram
S/o Teekama Ram
V.P.O-Patodi, Tehsil-Pachapadra,
District-Barmer, Rajasthan-344032
Roll No: 3363

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 बहल (भिवानी) {350} खण्ड बहल जिला भिवानी में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, भिवानी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, भिवानी को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 बहल (भिवानी) {350}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Murari Lal (3018)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Murari Lal
S/o Hanuman Singh
V.P.O-Nalwa, Hisar (HR)-125037
Roll No: 3018

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 झुम्पा खुर्द (भिवानी) {536} खण्ड सिवानी जिला भिवानी में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, भिवानी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, भिवानी को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 झुम्पा खुर्द (भिवानी) {536}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Santosh Taneja (3021)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Santosh Taneja
S/o Lakhman Dass
783/1, Raja Garden, Near Sarvoday
Hospital, Faridabad (HR)-121001
Roll No: 3021

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 पलवल (पलवल) {1008} खण्ड पलवल जिला पलवल में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, पलवल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, पलवल को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी पलवल
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 पलवल (पलवल) {1008}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Khem Chand Kalal (3319)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Khem Chand Kalal
S/o Deep Chand Kalal
V.P.O-Bhabru, Tehsil-Virat Nagar,
Jaipru, Rajasthan-303119
Roll No: 3319

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 एलनाबाद (सिरसा) {2825} खण्ड एलनाबाद जिला सिरसा में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, सिरसा से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, सिरसा को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 एलनाबाद (सिरसा) {2825}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Naresh Kumar (3355)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Naresh Kumar
S/o Radhe Shyam
W.No.3, Near P.N.Bank, Rly Road,
Uchana Mandi, Jind (HR)-126115
Roll No: 3355

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 ओंढा (सिरसा) {4025} खण्ड ओंढा जिला सिरसा में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, सिरसा से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, सिरसा को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 ओंढा (सिरसा) {4025}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Surander Singh (3369)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Surander Singh
S/o Balbir singh
V.P.O-Ugalan, Tehsil-Hansi, Hisar
(HR)-125038
Roll No: 3369

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 नारनौद (हिसार) {1478} खण्ड नारनौद जिला हिसार में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, हिसार से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी /निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, हिसार को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी हिसार
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 नारनौद (हिसार) {1478}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Rekha Gulati (3037)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषिति,

Rekha Gulati
D/o Mulak Raj Gulati
35, Sharma Garden, Y/Nagar
(Haryana)-135001
Roll No: 3037

यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 शहजादपुर (अम्बाला) {40} खण्ड शहजादपुर जिला अम्बाला में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, अम्बाला से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी /निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, अम्बाला को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी अम्बाला
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 शहजादपुर (अम्बाला) {40}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Vijay Kumar (3249)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रेषित,

Vijay Kumar
S/o Om Parkash Sharma
Bag Kothi, Gali No.1, In Front
Taiyain School, Bhiwani Haryana-
Roll No: 3249यादी क्रमांक 1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)
दिनांक 29.11.2012

विषय:- संसाधन अध्यापक वी0 आई0 विशेष अध्यापक के पद पर चयन बारे।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 बाढरा (भिवानी) {658} खण्ड बाढरा जिला भिवानी में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

- 1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/- या रुपये 15000/- का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।
- 2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला, के खाते में जमा करवाना होगा।
- 3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से

तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

- 4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।
- 5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक संस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गईं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- 7 आपको जिला सिविल सर्जन, भिवानी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।
- 10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।
- 11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगे तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
- 13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

- 14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
- 15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांघन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।
- 16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी /निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला को प्रेषित करेंगे।
- 17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।
- 18 आपका पद संस्थागत काडर होने के कारण स्थानान्तरित नहीं होगा।


यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाइनिंग उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

अरूण कुमार गुप्ता
महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 29.11.2012

पृ0क्रमांक-1/4-2012-आई0ई0डी-एस0एस(1)

- 1 सिविल सर्जन, भिवानी को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी
- 3 प्राधानचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय रा0व0मा0वि0 बाढरा (भिवानी) {658}
- 4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।


उप-निदेशक समावेशित शिक्षा
कृते: महानिदेशक माध्यामिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला